समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय भु-राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

(केम्प जबलपुर म.प्र.)

अपील कमांक /2018 निगरानी-6262/2018/सिवनी/भू.रा.

अपीलार्थी — रामसेवक उर्फ रामभरोस वल्द होरीलाल ब्राम्हण आयु61वर्ष निवासी ग्राम ग्वारी धाना व तहसील कुरई,जिला सिवनी म.प्र.

श्री सुनील तिवारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर (राजस्वमण्डल)
26 OCT 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

विरुद्ध

प्रतिअपीलार्थीगण

1- घनश्याम आ.श्री गिरधारी गाडरी आयु41वर्ष
2- माधव आ.गिरधारी आयु 48वर्ष
3- रामभरोस आ.श्री गिरधारी आयु45वर्ष
4- टेकचंद आ. गिरधारी आयु लगभग29वर्ष
5- रामपाल आ.श्री गिरधारी आयु लगभग33वर्ष
6- बिन्द्रा बाई आ.गिरधारी आयु लगभग42वर्ष
7- संध्याबाई पुत्री गिरधारी गाडरी आयु36वर्ष
8- वंढनिया बाई बेवास्व.गिरधारी गाडरी आयु63 वर्ष सभी निवासी ग्राम ग्वारी तहसील कुरई जिला सिवनी म.प्र.

NOTARY JABALPUR (M.P.)

अपील अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू राजस्व सहिंता के अंतगत पुनरीक्षण याचिका

माननीय महोदय,

अपीलार्थी के द्वारा निम्नानुसार अपील प्रस्तुत है।

माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग राजस्व के द्वारा प्रकरण कमांक413/अपील/2017-2018में पारित किये गये आदेश दिनांक27.7.2018 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक12.10.2018को प्राप्त हुई से दुखित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

21 OCT 2018

1- यह कि अपीलार्थी ग्राम ग्वारी धाना व तहसील कुरई,जिला सिवनी म.प्र.का मूल निवासी हैं तथा स्थाई रूप से निवास करता है।तथा अपीलार्थी के स्वामीत्व एवं कब्जे की भूमि जो की 200वर्षो से आवेदक के अधिकार व प्रक्षेत्र में है।तथा पुर्वजों से कब्जा होकर काबीज कब्जा भी हैं तथा भूमि खसरा कमांक191/2रकबा 2.600खसरा0.250खसरा कमांक260रकबा0.100 कुल रकबा3.05जो की पटवारी हल्का नं.101राजस्व निरीक्षण मण्डल सुखतरा ग्राम गुरवारी तहसील कुरई जिला सिवनी के अधिपत्य की भूमि पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण कमांक निगरानी—सिवनी/भू0रा0/2018/6262

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11-12-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 413/2017—18 अपील में पारित आदेश दिनांक 27—7—18 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई—योग्य नही रही है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) की धारा 50 (2) (ख) इस प्रकार है — धारा 50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन — (ख)इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व (ग्रहण नहीं किया जायेगा) तद्नुसार भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	